

दरारा

FAX

:: न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद ::

कर्मिक : 415/प्रवाचक-1/2014/  
पति,

होशंगाबाद, दिनांक 3 / 06 / 2014

विषय 2000 - PBR/14  
शमल / अवधेश

सचिव,  
माननीय राजस्व मण्डल,  
मध्यप्रदेश- न्यायियर  
(कैम्प- भोपाल)

विषय : अभिलेख प्रेषण विषयक ।

कर्मिक  
प्र प्राल  
24/6/14

उपर्युक्त विषयान्तर्गत न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के न्यायालय में पंजीबद्ध प्रकरण कर्मिक 81/अपील वर्ष 2013-14 पक्षकार- अवधेश बनाम् मध्यप्रदेश राज्य व अन्य मौजा ग्राम आगराकला तहसील व जिला होशंगाबाद, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-51 के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनर्विलोकन की अनुमति वास्ते प्रकरण कर्मिक 81/अपील वर्ष 2013-14 पक्षकार- अवधेश बनाम् मध्यप्रदेश राज्य व अन्य कुल पृष्ठ संख्या : 128 एवं न्यायालय कलेक्टर, होशंगाबाद का मूल प्रकरण कर्मिक 8/अ-6 वर्ष 2003-04 पक्षकार-मध्यप्रदेश राज्य बनाम् अवधेश कुल पृष्ठ : 42 इस प्रकार कुल 02 प्रकरण आपकी ओर सादर सम्प्रेषित हैं ।

*[Handwritten Signature]*

संलग्न : उपरोक्तानुसार 02 दो प्रकरण

81/अपील/2013-14  
8/अ-6/2003-04

98.6.14

आदेशानुसार

*[Handwritten Signature]*

उपायुक्त (राजस्व)  
नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद

विधि 2000-PBR/14  
आगत / आवेदन  
②

24.5.2016

आवेदन की ओर से कोई उपाख्यत नहीं। आवेदन को सही पते पर सूचना पत्र भेजा गया, जो ग्राम में विवादा नहीं करने की वीथ के सब प्राप्त। प्रकण में पुनर्विलोकन का पत्रांतर आधार होने से आग्रह डाटा प्रकण क्रमांक 162/अपीए/2008-09 में पालि आदेश दिनांक 25.4.2013 के पुनर्विलोकन की अनुमति दी जाती है।

  
अध्यास

पत्र भेजा गया  
आवेदन को सही पते पर सूचना पत्र भेजा गया, जो ग्राम में विवादा नहीं करने की वीथ के सब प्राप्त। प्रकण में पुनर्विलोकन का पत्रांतर आधार होने से आग्रह डाटा प्रकण क्रमांक 162/अपीए/2008-09 में पालि आदेश दिनांक 25.4.2013 के पुनर्विलोकन की अनुमति दी जाती है।